दिनांक 30.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 33/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय–समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

- **जनपद बाराबंकी/थाना फतेहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1–राजेश कुमार 2–कृष्ण चन्द्र 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना कोतवाली औरैया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना कोतवाली औरैया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मुन्ना अली को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना लोनी कटरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना लोनी कटरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि व 04 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आनन्द प्रकाश को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मीरजापुर/थाना कोतवाली कटरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मीरजापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मीरजापुर द्वारा थाना कोतवाली कटरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि व समतुल्य धारा 04 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भूपेन्द्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 18 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद रायबरेली/थाना मिलएरिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रायबरेली द्वारा थाना मिल एरिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)झ/342/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रेहान उर्फ सोनू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 07 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सम्भल/थाना चन्दौसी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 16 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना चन्दौसी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजीव को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 16 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना गंगोह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास की सजा व 04 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना गंगोह पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/149/307/353 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त इसरान को 05 वर्ष के कारावास व 04 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

जनपद मथुरा/थाना कोसीकलॉ

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 29/30.09.2023 की रात्रि थाना कोसीकलॉ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोपालबाग नहर की पटरी पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त गोपाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोसीकलॉ पर पंजीकृत अभियोग धारा 302/120बी भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मथुरा के थाना कोसीकलॉ पर हत्या, हत्या का प्रयास,एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोसीकलॉ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गोपाल निवासी तांगडा मोहल्ला कस्बा व थाना कोसीकलॉ जनपद मथुरा।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद खीरी/थाना सिंगाही

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 07 हजार 900 रूपये नगद, पासबुक, आधार कार्ड**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 29.09.2023 की रात्रि थाना सिंगाही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त हसीब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 07 हजार 900 रूपये नगद, पासबुक, आधार कार्ड, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिंगाही पर पंजीकृत अभियोग धारा 392/411 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिंगाही पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हसीब निवासी ग्राम छब्बापुरवा थाना मझगई जनपद खीरी।

बरामदगी

1—लूटे गये 07 हजार 900 रूपये नगद, पासबुक, आधार कार्ड।

2—01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—20

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 30.09.2023 को थाना सेक्टर—20 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर—37 बोटेनिकल गार्डन से पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर–20 पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर पर 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–20 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रवीण कुमार निवासी खिरसा डोह थाना परासिया जनपद छिन्दवाड़ा, म0प्र0।

जनपद मथुरा/थाना बल्देव

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी की 02 मोटर साइकिल**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन**
- **870/–रूपये नगद**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 30.09.2023 को थाना बल्देव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कासिमपुर अन्डर पास के नजदीक सर्विस रोड पर पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1–गौरव 2–अनुज घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–मन्जीत सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी की 02 मोटर साइकिल, लूट का 01 मोबाइल फोन, 870/–रूपये नगद, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त गौरव के विरूद्ध जनपद मथुरा के थाना बल्देव पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बल्देव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गौरव निवासी नन्दु गढी थाना बल्देव जनपद मथुरा।

2–अनुज निवासी गढी सहीराम थाना बल्देव जनपद मथुरा।

3–मन्जीत निवासी नन्दु गढी थाना बल्देव जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–लूट/चोरी की 02 मोटर साइकिल।

2–लूट का 01 मोबाइल फोन।

3–870/–रूपये नगद।

4–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी की 03 लाख 81 हजार 500 रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 30.09.2023 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–राजीव 2–दिलीप उर्फ डौली को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 03 लाख 81 हजार 500 रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजीव निवासी भागीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।

2–दिलीप उर्फ डौली निवासी भागीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।

बरामदगी

1–चोरी की 03 लाख 81 हजार 500 रूपये नगद।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना तिलहर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 46 लाख रूपये(अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 200 ग्राम अवैध अफीम, 130 ग्राम मैथाम फेटामाइन ड्रग्स**
- **4000/–रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 29.09.2023 को थाना तिलहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरयू पुलिया के नीचे से 03 अभियुक्तों 1–रीतिक 2–आशीष उर्फ छोटे 3–गौरव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 46 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 200 ग्राम अवैध अफीम, 130 ग्राम मैथाम फेटामाइन ड्रग्स, 4000/–रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रीतिक निवासी ग्राम पचदेवरा थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

2–आशीष उर्फ छोटे निवासी उखरी थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।

3–गौरव निवासी मोहल्ला कुवरगंज थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–लगभग 46 लाख रूपये(अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 200 ग्राम अवैध अफीम, 130 ग्राम मैथाम फेटामाइन ड्रग्स।

2–4000/–रूपये नगद।

3–02 मोबाइल फोन।

4–01 मोटर साइकिल।

एसटीएफः राष्ट्रीय पशु बाघ (पैन्थेरा टिगरिस) की हड्डियों का ढांचा (स्केलेटन) सहित 02 तस्कर जनपद पीलीभीत से गिरफ्तार।

दिनांक 09–08–2023 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश, वन विभाग एवं वाइल्ड लाइफ क्राइम कण्ट्रोल व्यूरो के संयुक्त अभियान में वन्यजीवों की तस्करी करने वाले गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से राष्ट्रीय पशु बाघ (पैन्थेरा टिगरिस) की हड्डियों का ढांचा (स्केलेटन) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1– अक्षय पुत्र राम औतार निवासी त्रिलोकपुर, जनपद लखीमपुर खीरी

2– राम चन्द्र पुत्र तेजीराम निवासी त्रिलोकपुर, जनपद लखीमपुर खीरी

बरामदगी–

1– राष्ट्रीय पशु बाघ (पैन्थेरा टिगरिस) की हड्डियों का ढांचा (स्केलेटन)।

6– 02 अदद मोबाइल फोन।

7– रू0 310/– नगद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

वन्य रेंज माला, जनपद पीलीभीत। दिनांक 30–09–2023 समय 17.10 बजे लगभग।

विगत कुछ दिनों से राष्ट्रीय पशु बाघ के लिए सरंक्षित वन्य जीव अभ्यारणों से इन्हें मारकर इनकी खाल, हड्डी, नाखून इत्यादि की तस्करी करने वाले गैंगों के सदस्यों के जनपद लखीमपुर–खीरी व पीलीभीत के आस–पास सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रही

थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री दीपक कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण कार्यवाही करते हुए वाइल्ड लाइफ क्राइम कण्ट्रोल व्यूरो एवं वन विभाग से समन्वय स्थापित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर द्वारा ज्ञात हुआ कि निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के कुछ व्यक्ति एक टाइगर को मारकर उसकी खाल व नाखून बेच चुके हैं व अब उसकी हड्डियों को किसी नेपाली तस्कर को बेचने की फ़िराक में हैं। इस सूचना पर एसटीएफ लखनऊ के उप निरीक्षक श्री तेज बहादुर सिंह, मु0आ0 विनोद कुमार यादव, मु0आ0 कृष्णकांत शुक्ल, मु0आ0 आलोक रंजन, मु0आ0 सुनील कुमार यादव आरक्षी चालक अफजाल की एक टीम गठित कर, डब्लूसीसीवी की टीम को साथ लेकर, मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचकर, उसकी निशादेही पर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि बरामद किया गया राष्ट्रीय पशु बाघ (पैन्थेरा टिगरिस) की हड्डियों का ढांचा (स्केलेटन) की बिक्री नेपाल व चीन में होती है, जहाँ इनकी हड्डियों का चूर्ण बनाकर इनसे विभिन्न प्रकार की शक्तिवर्धक औषधियों का निर्माण किया जाता है।

बाघ के शिकार के सम्बन्ध में पूछताछ पर बताया कि बाघ के शिकार का काम हमलोग पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। हमलोग बाघ के आने–जाने के स्थानों की रेकी करते हैं फिर उन रास्तों पर लोहे का बना एक कुढा लगा देते हैं, जहाँ गुजरने पर बाघ का पांव उस कुढ़े में फंस जाता है और बाघ वहीं तड़प–तड़प कर मर जाता है। इसके बाद हमलोग मौका देखकर उनकी खाल, मांस हड्डी आदि को अलग–अलग कर ले जाकर छुपा देते हैं। इसके उपरान्त हम लोग नेपाल व चीन के तस्करों से सम्बन्ध साधकर इनकी बिक्री कर 05 से 10 लाख रुपये कमा लेते हैं। आज भी हमलोग बाघ की हड्डियों को बेचने जा रहे थे।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पशु बाघ वन्य जीव संरक्षण अधि0–1972 के सीड्यूल–1, पार्ट–1 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी का वन्य जीव है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग वन रेंज माला, पीलीभीत में पंजीकृत कराकर दाखिल किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रभागीय वन अधिकारी वन रेंज माला पीलीभीत के स्तर से सम्पादित की जायेगी।

———